निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 446) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०—29/2020—1036/वि०स०।—''कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम—116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–15 / 2020]

कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020

(कारखाना अधिनियम, 1948 को संशोधित करने हेतु विधेयक)

प्रस्तावना :– चूँकि वर्तमान में कोविड–19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

और, चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–

(1) इस अधिनियम को कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन।– (1) कारखाना अधिनियम, 1948 के धारा–2 के खण्ड (ड) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(i) उपधारा (i) में शब्द ''दस'' को शब्द ''बीस'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा और

(ii) उपधारा (ii) में शब्द ''बीस'' को शब्द ''चालीस'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) कारखाना अधिनियम, 1948 के धारा–5 के पश्चात निम्नलिखित धारा अतःस्थापित की जाएगी।–

''5–(क) (लोकहित में नये कारखानों को छूट देने की शक्ति)– जहाँ कि राज्य सरकार को समाधान हो जाता है कि अधिक आर्थिक गतिविधियाँ व रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए लोकहित में यह आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी नये कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के नये कारखानों, जो स्थापित हुए हैं एवं व्यावसायिक उत्पादन आरंभ हुआ है, को ऐसी शर्त्तों के अध्याधीन, जैसी वह उचित समझे, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से व्यावसायिक उत्पादन आरंभ होने के दिनांक से एक हजार दिनों की अवधि के लिए छूट दे सकेगी''।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नये कारखानें या किसी वर्ग या प्रकार के नये कारखानों से यह अभिप्रेत है कि ऐसा नया कारखाना या किसी वर्ग या किसी प्रकार के नये कारखाने, जो स्थापित हुए हों एवं जिनमें कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020 के लागू होने से एक हजार दिवस की अवधि में व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो।

(3) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–85 की उपधारा–1 के खण्ड (i) में शब्द ''दस'' को शब्द ''बीस'' से एवं शब्द ''बीस'' को शब्द ''चालीस'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. विधिमान्यकरण ।– अधिनियम की इस धारा –2 के खंड (ड), धारा–5 एवं धारा– 85 की उप धारा–.1 कें खंड (i) में संशोधन होते हुए भी, इसके पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और अधिनियम की धारा –2 के खंड (ड), धारा–5 एवं धारा– 85 की उप धारा–.1 के खंड (i) के संशोधन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

4. **निरसन एवं व्यावृत्ति।–**

(i) कारखाना (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–08, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया, या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था, ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

विभिन्न कारखानों में श्रम संबंधी प्रावधानों को विनियमित करने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम, 1948 बिहार राज्य में लागू है। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु बिहार कारखाना नियमावली, 1950 भी प्रवर्तन में है।

चूँकि वर्तमान में कोविड–19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है एवं राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में कारखाना अधिनियम, 1948 के कतिपय प्रावधानों को संशोधन करने के साथ–साथ नए प्रावधान समाविष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई।

सम्प्रति कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत धारा–2 के अन्तर्गत शक्ति आधारित कारखानों में 20 कामगार एवं बिना शक्ति आधारित कारखानों में 40 कामगार किये जाने का प्रस्ताव है, जो पूर्व में क्रमशः 10 एवं 20 था। इसी प्रकार धारा–85 में शब्द ''दस'' को शब्द ''बीस'' से एवं शब्द ''बीस'' को शब्द ''चालीस'' से प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। साथ हीं साथ धारा–5 में लोकहित में नये कारखानों को छुट देने की शक्ति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ धारा–5 (क) जोड़ने का भी प्रस्ताव है। धारा–5 (क) जोड़ने के बाद राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी नवस्थापित कारखानों या किसी वर्ग या प्रकार के नये कारखाने को कारखाना अधिनियम, 1948 के सभी या किन्हीं उपबन्धों से व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के दिनांक से एक हजार दिनों की अवधि के लिए छूट दे सकेगी।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के लागू हो जाने के पश्चात राज्य में छोटे एवं मंझौले प्रकार के उद्योगों के स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

यहाँ इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभिष्ठ है।

(विजय कुमार सिन्हा)
भार–साधक सदस्य ।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 446-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in